

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE
STATE VIGILANCE & ANTI CORRUPTION BUREAU
NORTHERN RANGE, DHARAMSHALA H.P.

NO. 6609 Dated 01-10-19

To
The Addl. Director General,
SV&ACB, Himachal Pradesh, Shimla.

Subject: Regarding SUO-Motto return under RTI Act,2005 for the month of September 2019 Northern Range Dharamshala

Kindly refer to your office letter No.SV&ACB (E-7) RTI/14-19402 dated 29-10-15, on the subject cited above.

In this regard, it is submitted that the monthly report on the implementation of the provision of RTI Act,2005 for the **Month of September 2019** on the prescribed Performa is enclosed herewith for your kind perusal please.

Encls : A.A.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. Arul Kumar)IPS
Superintendent of Police,
SV&ACB,NR,Dharamshala

Information for the month of October 2019, under RTI Act, NR Dharamshala

Name of Police Station	Sr.No.	Name & Address of the applicant	Photo copy of request (as enclosure)	Photo copy of reply (as enclosure)
PS,SV&ACB, D/Shala	1.	Dheeraj Lagwal Advocate Judicial Complex Dharamshala	01	03
	2.	Jai Singh Pathania	01	01
PS,SV&ACB,Chamba	1.	Chaman Singh S/O Falia Ram R/O VPO Gola Tehsil sihunta Distt Chamba	01	01
PS,SV&ACB Una		NIL		

कार्यालय जन सूचना अधिकारी Cum उप- पुलिस अधीक्षक राज्य सरोकता एवं अप्पटाचार रोधी ब्यूरो चम्बा जिला चम्बा (हि०)

क्रमांक-----

दिनांक-----

श्री वसन्त सिंह s/o श्री फतिया राम
ब/० गांव सोला तहसील सियुहता जिला चम्बा (हि० प्र०)।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना ।

आपको

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत पत्र न० 5182 Dated 26-07-19 व इस से सम्बन्धित कार्यवाही की मांग हेतु एक आवेदन नुमाया दिनांक 03-08-19 को पुलिस अधीक्षक महोदय, रा०सत०एव०भ० रो० ब्यूरो उत्तरी खण्ड धर्मशाला को प्रेषित है जो दिनांक 11-08-19 को SP SV & ACB NR धर्मशाला के कार्यालय के पत्र न० 5139 Dated 05-09-19 के द्वारा प्राप्त हुआ है आप द्वारा उपरोक्त शिकायत पत्र से सम्बन्धित की गई कार्यवाही की जायाप्रति उपलब्ध करवाने की मांग है जिसके सन्दर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि शिकायत पत्र संख्या 5182 दिनांक 26-07-19 SP SV धर्मशाला के कार्यालय से इस घटना में जांच हेतु दिनांक 05-08-19 को प्राप्त हुआ है जो शिकायत पत्र अभी तक अधीन है। शिकायत पत्र की जांच के दौरान अभी तक कोई रिकार्ड हासिल न किया गया है। जो शिकायत पत्र जारी है। आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि यदि उपरोक्त सूचना से आपका समाधान नहीं होता है तो 3 दिनों के भीतर अपील अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय, रा०सत०एव०भ० रो० ब्यूरो उत्तरी खण्ड धर्मशाला को अपील कर अधिकार होगा।

9C
PIO Cum उप- पुलिस अधीक्षक,
रा०सत०एव०भ० रो० ब्यूरो
चम्बा जिला चम्बा।

पुनरावेदन संख्या 1513-14/SF

दिनांक 13-09-19

1. उपरोक्त पुलिस अधीक्षक राज्य सरोकता एवं अप्पटाचार रोधी ब्यूरो उत्तरी खण्ड धर्मशाला को सूचनाये हेतु प्रेषित

9C
PIO Cum उप- पुलिस अधीक्षक,
रा०सत०एव०भ० रो० ब्यूरो
चम्बा जिला चम्बा।



APPLICATION FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

To
The Public Information Officer/Assistant Public Information Officer
(Name of the Department from which the information is sought)

S.P. Virgi
Kangra (H.P.)

- a) Subject Matter of the information _____
- b) Period of when the information relates month and year _____
- c) Description of the information required
Kindly supply me information regarding case filed by Mr. Kinshu Kumar s/o. S.P. Bishnoi to M/O. Kamalabasi D. Bhanala Tehsil Shab against the misutilization of funds by the members of Groom Parikayat Bhanala, Tehsil Shabapur, District Kangra H.P.
- d) File No. if available _____
- e) Whether the applicant claims exemption as below poverty line family, if yes, attach proof _____
- f) Particulars of Demand Draft or Challan No. or I.P.O. 49A / 026733 = amount and date 20.RS. dt. 9/9/2019.

Name: Kinshu Kumar
Address: Individual Camp
District & Groom, Kangra
Telephone No: 8626978009

ACKNOWLEDGEMENT

Received application from Sh _____ dated _____ along with
I.P.O./Demand Draft/Challan No _____ amounting to Rs _____
vide diary No _____

Reader
for information

PIO. Cum.
Dy. SP, SVSACB
Dhala

(Signature)
Public Information Officer
Assistant Public Information Officer
Name of the Department (Public Authority)

अंतिम जाँच रिपोर्ट शिकायत पत्र संख्या 6424 दिनांक 13.12.2018

I. Back Ground:

- | | | |
|------|---|---|
| i) | शिकायत कर्ता: | दिलेश कुमार पुत्र श्री बिन्धु दास, निवासी कमलदाडी, तहसील साहपुर,
जिला कांगड़ा, हि. प्र.। |
| ii) | शिकायत पत्र विरुद्ध: | ग्राम पंचायत भन्नाला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा। |
| iii) | जांच अधिकारी का नाम: | निरीक्षक कुलदीप चन्द |
| iv) | Allegation Levelled in the Complaint : | |

1. ग्राम पंचायत भन्नाला के प्रस्ताव संख्या 06,07 दिनांक 20.12.2016 के अनुसार विकास खण्ड अधिकारी रैत, कांगड़ा ने अपने कार्यालय के आदेश दिनांक 27.12.2016 द्वारा क्रम न. (1) पर वर्णित कुदल के निर्माण के लिए 1,50,000/- रु की राशि स्वीकृत की थी।
2. ग्राम पंचायत भन्नाला के प्रस्ताव संख्या 04,06 दिनांक 06.03.2017 के अनुसार विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा अपने कार्यालय के आदेश क्रमांक 19979-80 दिनांक 10.03.2017 दो छोटी कुदलों के निर्माण हेतु जो क्रमशः पर दर्शाई गई हैं जिनके लिए 2,50,000/- रु की राशि स्वीकृत की गई थी।
3. उपरोक्त पैरा न. 1 व 2 में वर्णित निर्माण कार्य पंचायत ने नहीं करवाए गए हैं जबकि राशि का दुरुपयोग किया है। ग्रामवासियों को मालूम नहीं कि ये राशि कहाँ पर और किस क्षेत्र में खर्च करी गई है।

Methodology :

- i) मौका का निरीक्षण किया गया तथा मौका की फोटोग्राफी की गई है।
- ii) शिकायत कर्ता को शामिल जांच किया जाकर उसका ध्यान कलमबंद किया गया है।
- iii) खण्ड विकास अधिकारी, रैत कार्यालय से उक्त निर्माण कार्य बारे रिकार्ड प्राप्त किया गया है।
- iv) दिनांक 24.07.2019 को मौका पर जाकर 6 अदद मवाड़ी, प्रतिवादी श्रीमती जीतल कुमारी, प्रधान पंचायत भन्नाला व अंजल कुमार, सचिव ग्राम पंचायत भन्नाला के ध्यान कलमबंद किए गए हैं।

जाँच रिपोर्ट:

शिकायत पत्र की जाँच में निरीक्षक द्वारा मौका पर अंजल ने लाई गई है। मौका का निरीक्षण किया गया है तथा मौका की फोटोग्राफी करी गई है। खण्ड विकास अधिकारी, रैत कार्यालय से उक्त निर्माण कार्य बारे रिकार्ड प्राप्त किया गया है व मवाड़ों के ध्यान कलमबंद किए गए हैं। जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2001 में ग्राम भन्नाला का विभाजन करके एक नई पंचायत चोरड़ा का गठन सरकार द्वारा किया गया था। ग्राम पंचायत भन्नाला वर्तमान में करीब 20-25 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन, ग्राम पंचायत चोरड़ा में भी पड़ती है। ग्राम पंचायत भन्नाला से गांव से खोली खाड़ से सिंचाई हेतु गेज कुदल का भी पुराने समय से है तथा इसी गेज कुदल से ग्राम पंचायत भन्नाला उपरोक्त 20-25 परिवारों जिनकी जमीन ग्राम पंचायत चोरड़ा में पड़ती है, को भी सिंचाई के लिए कच्ची कुदल बनी इन सभी गांव वासियों ने गेज कुदल से चोरड़ा पंचायत Area में पड़ने वाली इस कच्ची कुदल को पक्का करने पंचायत को कहा था, जिस बारे ग्राम पंचायत भन्नाला की ग्राम सभा बैठक दिनांक 16.09.2015 को प्रस्ताव संख्या अनुसार अंजली की जमीन से जीतल जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत भन्नाला की प्रधान भी है, की जमीन तक

Attested

(Handwritten signature)

के पत्रकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था (पेज नं. 13 -28)। जमदीश की जमीन लिंक रोड़ की तरफ से शुरू हो
तथा उसके बाद नीलम प्रधान की जमीन लगती है।

उपरोक्त कूल्ट निर्माण के लिए 1,50,000/- का Estimate तत्कालीन Technical Assistant द्वारा
किया जाकर B.D.O. के पास स्वीकृती के लिए भेजा गया था जहां से स्वीकृति आने के बाद मुताबिक प्रस्ताव सं
दिनांक 20.12.2016 के श्रीमती नीलम रणा प्रधान ग्राम पंचायत भन्नाला के नाम पर मस्ट्रील जारी करके काम को शुरु
का प्रस्ताव पारित किया गया (Page No. 32-42)। जो इस दौरान जमदीश की जमीन से टिलेज की जमीन तक पूर
निर्माण ठेके पर तत्कालीन Technical Assistant द्वारा निर्माण करी गई कूल्ट का मूल्यांकन चारे M.B. तैयार करी
जिसमें Technical Assistant द्वारा निर्मित कूल्ट का मूल्यांकन 1,51,311 किया गया है (Page No. 45-46)। जिसके आ
विल व वाउचर की वेंजेट करी गई है, जो मुताबिक Extract Cash Book इस डिस्ट्रो की कूल्ट के निर्माण में कुल 1,49,
अर्ध होना पाए गए हैं (Page No. 44)।

इसके उपरान्त तत्कालीन Technical Assistant द्वारा टिलेज की जमीन से विनोद की दुकान तक
का निर्माण करने में होने वाले अभावित खर्च का Estimate Rs. 1,00,000/- का तैयार करके B.D.O. के पास स्वी
लिए भेजा गया था जहां से स्वीकृति आने के बाद मुताबिक प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 06.03.2017 के श्रीमती विमला
ग्राम पंचायत भन्नाला के नाम पर मस्ट्रील जारी करके काम को शुरु करने का प्रस्ताव पारित किया गया (P
58-63) जो Sanctioned एनरॉजि मुदरलिग 1,00,000/- रु. में टिलेज की जमीन से केसर पुन बरतेन सिंह की जमीन
कूल्ट का निर्माण किया गया तथा विनोद की दुकान अब लगभग 40-50 मीटर आगे तक बची है। जो इस दौरान वि
जमीन से केसर की जमीन तक कूल्ट का निर्माण ठेके पर तत्कालीन Technical Assistant द्वारा निर्माण करी गई
मूल्यांकन चारे M.B. तैयार करी गई है, जिसमें Technical Assistant द्वारा निर्मित कूल्ट का मूल्यांकन 1,00,9
किया गया है (Page No. 65-66)। जिसके आधार पर विल व वाउचर की वेंजेट करी गई है, जो मुताबिक Extract C
इस डिस्ट्रो की कूल्ट के निर्माण में कुल 98,079 रु. अर्ध होना पाए गए हैं (Page No. 67)। जब शिकायतकर्ता टिले
व अन्य ने उक्त निर्माण करी गई कूल्ट के बारे में B.D.O. के पास शिकायत करी थी कि ग्राम पंचायत भन्ना
पंचायत के परिणाम में वैसे अर्ध कर रही है, जिस पर ग्राम पंचायत भन्नाला ने ग्राम पंचायत गोरड़ा से डन कूल्ट के
N.O.C. भी प्राप्त करी है (Page No. 84)। इस कूल्ट का निर्माण सभी नाव वारिस्टों की रजमंटी के कारण हुआ है
निर्माण से करीब 20-25 परिवारों को लाभ पहुंच रहा है जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत भन्नाला को कोई व्यक्तिगत लाभ
(Page No. 85)।

विशेषतः

दौराने प्राप्त पाया गया है कि वर्ष 2001 से पहले ग्राम पंचायत गोरड़ा, ग्राम पंचायत भन्नाला के

ग्राम पंचायत भन्नाला के वर्तमान में करीब 20-25 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन, ग्राम पंचायत गोरड़ा में भी पड़
पंचायत भन्नाला के बलड़ी नाव से शोली खाड़ से सिंचाई हेतु गेन कूल्ट काफी पुराने समय से है तथा इसी मे

After Land

खेती कूडला कभी भी तथा इन सभी गांव वासियों के जेन कूडला से चोरडा पंचायत Area में पड़ने वाली इस कटती कूडला को पकड़ कर लेने के लिए आम पंचायत अनाया की द्वारा सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जिस पर आम पंचायत अनाया उसको विफलता से कूडला का निर्माण किया गया है जिसके लिए B.D.O रैत द्वारा कुल 2,50,000/- रु. स्वीकृत होकर आई होना पार है, आम पंचायत चोरडा के एरिया में निर्माण करी गई उस कूडला वारे आम पंचायत चोरडा द्वारा भी N.O.C. प्रदान करी गई है तथा इस कूडला का निर्माण सभी गांव वासियों की रजामंदी के कारण हुआ है तथा इसके निर्माण से करीब 20-25 परिवारों को लाभ पहुंच रहा है जिसमें प्रधान आम पंचायत अनाया को कोई व्यतिरिक्त लाभ न हुआ है। हालांकि गाँव व स्थानाल नवादाज से विपरीत प्रकार का संश्लेष अपराध घटित होना न पाया गया है।

सिफारिश: शिकायत पत्र की जाँच पर विपरीत प्रकार का संश्लेष अपराध घटित होना न पाया गया है शिकायत पत्र बन्द किये जाने की सिफारिश के साथ बराबे अवलोकनार्थ एचम आन्वानी आदेश देणू सेवा में प्रेषित है।

Approved
 By: ~~Supdt of Police~~
 25/07/2019
 Dharmavaram

विश्व कुलदीप चन्द,
 जॉब असिस्टरी,
 पुलिस थाना राज्य सतर्कता एचम आन्वानी रोधी स्ट्रीट,
 धर्मशाला जिला कॉमडा, (दि० 20/07/2019)